संख्या-37/2444 ई-2/तेरह-2014-382/1999

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 10 दिसम्बर,2014

विषय:- मे0 लार्डस आसवनी लि0, नन्दगंज गाजीपुर की वार्षिक पेय क्षमता 118.8 लाख ब0ली0 (80 प्रतिशत) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-82/दो प्रा0डी0-24/लार्डस आसवनी दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 तथा जी- 104/दो-प्रा0डी0-24/लार्डस आसवनी दिनांक 26 नवम्बर, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 एवं दिनांक 26 नवम्बर, 2014 में आप द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मे0 लार्डस आसवनी लि0, नन्दगंज गाजीपुर की कुल अधिष्ठापित क्षमता 148.5 लाख ब0ली0 का 80 प्रतिशत अर्थात 118.8 लाख ब0ली0 वार्षिक पेय क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त इकाई इस सम्बन्ध में श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग तथा केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था/प्रतिबन्धों/शर्तो/ पूर्वानुमति प्राप्त करने का पालन सुनिश्चित करते हुये विस्तारित क्षमता का उपयोग करेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनुसचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in